भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4295

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

उचित दर की दुकानों का बने रहना

4295. प्रो. सौगत राय:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में उचित दर की दुकानों (एफपीएस) की अव्यवहार्य स्थितियों के बारे में चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो प्रति माह प्रति दुकान 50,000/- रुपए के न्यूनतम मार्जिन के साथ उनकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) नेटवर्क की अनुपलब्धता, सर्वर बंद होने, अंगुलियों के निशान का मेल न होने आदि के कारण राशन प्राप्त करने वालों के उत्पीड़न को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) उचित दर दुकानों के माध्यम से विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं ताकि उनकी व्यवहार्यता बढ़ाई जा सके जिससे ऐसी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने में मदद मिलती है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का संचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। उचित दर दुकानों (एफपीएस) के अनुज्ञापन और निगरानी जैसी परिचालन जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) नियंत्रण आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (9) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकानों के संचालन की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए उचित दर दुकानों पर टीपीडीएस के तहत वितरित खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देगी।

सरकार का प्रयास है कि उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के डीलरों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर प्रदान करके और एफपीएस पर मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से लाभार्थियों के अनुभव को बढ़ाकर उचित दर दुकानों (एफपीएस) की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार किया जाए। एफपीएस की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया है कि वे एफपीएस के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सेवाएं, बैंकों/कॉर्पोरेट बैंकिंग संवाददाताओं के साथ गठजोड़ के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की बैंकिंग और नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने, छोटे (5 किग्रा) एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री, अन्य वस्तुओं/जनरल स्टोर की वस्तुओं की बिक्री आदि जैसी पहल करें।

इसके अलावा, 4 शहरों अर्थात हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर और अहमदाबाद में 60 एफपीएस की व्यवहार्यता में सुधार के लिए जन पोषण केंद्र (जेपीके) प्रायोगिक अध्ययन किया जा रहा है। भारत सरकार ने लाभार्थियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए एफपीएस डीलरों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए यह प्रायोगिक अध्ययन किया है।

इसके अलावा, कौशल विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए, विभाग ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया है, ताकि एफपीएस मालिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके और उन्हें नए व्यावसायिक अवसरों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक उद्यमिता कौशल से लैस किया जा सके।

(ख): टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (7) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकान के मालिक के लाभ के रूप में एक राशि तय करेगी, जिसकी समीक्षा उचित दर दुकान संचालन की निरंतर व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर की जाएगी।

उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन/कमीशन/मानदेय आदि की वास्तविक दर निर्धारित करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार केवल खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन और हैंडलिंग तथा उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के मानदंड और केंद्रीय हिस्सेदारी का पैटर्न भी शामिल है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, अप्रैल 2022 में एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को भी बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, राज्य सरकारें वास्तविक दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता नियमों में निर्दिष्ट दरों या पूरे राज्य के लिए वास्तविक औसत दरों तक सीमित होगी, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया था, जो भी कम हो।

वर्तमान में, मार्जिन में और वृद्धि का कोई प्रस्ताव खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग): कुछ राज्यों में दूरस्थ/छाया/बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में एफपीएस पर ईपीओएस उपकरणों के लिए इंटरनेट/कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, दूरसंचार विभाग से इंटरनेट/कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों को हल करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, लाभार्थियों को किसी भी इंटरनेट/कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों का सामना किए बिना परिचालन ईपीओएस डिवाइस वाले किसी भी एफपीएस से वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत अपने हक का अनाज उठाने का अधिकार दिया गया है। ईपीओएस उपकरणों में सीमित/बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ऑफ़लाइन मोड में काम करने की कार्यक्षमता है। ऑफ़लाइन ईपीओएस आंकड़ों को पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम के साथ सिंक करने के लिए ईपीओएस उपकरणों को समय-समय पर नेटवर्क क्षेत्र में आना पड़ता है।

(घ): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) नियंत्रण आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (9) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकानों के संचालन की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए उचित दर दुकानों पर टीपीडीएस के तहत वितरित खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देगी।

*****